लेखा · योग

मूल्य ह्रास एवं इसका लेखाङ्कन - २ अङ्क १०५ सितम्बर-०४, (मई- ०५ में प्रकाशित)

इस अङ्क में

३. दान में प्राप्त सम्पत्तियाँ १
अभिलेखन एवं मूल्याङ्कन से सम्बन्धित मामले १
अनुशंसा २
लेखाङ्कन २
मूल्यह्रास का लेखाङ्कन २
१. आय - व्यय खाते के माध्यम से लेखाङ्कन २
पूँजीगत-निधि सृजित करने की स्थिति में २
२. पूँजीगत-निधि के माध्यम से लेखाङ्कन ३
मूल्यह्रास प्रभारित करने के कारण ३
३. दोनों विधियों के माध्यम से लेखाङ्कन ३
शब्दावली ४

लेखा योग की अङ्क संख्या १०४ से जारी ...

पिछले अङ्क में हमने मूल्यह्रास तथा उसकी गणना की विधियों पर चर्चा की थी। अब हम पूँजीगत-निधि के सृजन की विधि पर चर्चा करेंगे। दान में प्राप्त सम्पत्तियों से किस प्रकार पूँजीगत-निधि बना सकते हैं?

३. दान में प्राप्त सम्पत्तियाँ

अधिकांश जन-सेवी संस्थाएँ अनुदान से या स्वयं की निधि से सम्पत्तियाँ क्रय करती हैं। परन्तु कभी-कभी भौतिक सम्पत्तियाँ भी जन-सेवी संस्थाओं को दान में दी जाती है। ऐसी स्थिति में, नकद या बैङ्क के माध्यम से कोई भुगतान नहीं किया जाता। अधिकांशतः इस प्रकार के लेन-देन में सम्पत्ति का कोई अभिलेख भी नहीं होता।

क्या यह उचित है? यदि किसी सम्पत्ति का जन-सेवी संस्था के पास कोई अभिलेख न हो तो वह उसकी अभिरक्षक की भूमिका का निर्वाह किस प्रकार करेगी? यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्पत्ति का उपयोग कुशलतापूर्वक किया गया है? यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्पत्ति का दुर्विनियोजन नहीं किया गया है? यदि सम्पत्ति का कोई अभिलेख नहीं रखा गया है तो लेखाकार एवं अङ्केक्षक इस सम्बन्ध में कोई भूमिका नहीं निभा सकते।

अभिलेखन एवं मूल्याङ्कन से सम्बन्धित मामले

भारतीय शासप्राप्त लेखाकार संस्थान[१] ने यह अनुशंसा की है कि इस प्रकार की सम्पत्तियों का लेखाङ्कन लेखा-पुस्तकों[२] में किया जाना चाहिए। तथापि, भारतीय शासप्राप्त लेखाकार संस्थान के अनुसार यह प्रविष्टि केवल नाममात्र के मूल्य[३] पर ही की जानी चाहिए।

जबकि दूसरी ओर, अमेरिकी दृष्टिकोण[४] के अनुसार, इस प्रकार की सम्पत्तियों का लेखाङ्कन उचित-मूल्य[५] पर किया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में भारतीय एवं अमेरिकी दृष्टिकोण में भिन्नता क्यों है? अमेरिकी कर नियमों में वस्तुओं के रूप में दिया गया दान (वस्तु-दान) भी कर-छूट के योग्य है। अतः कर से छूट प्राप्त करने के लिए आपको सम्पत्ति के मूल्य का भी आकलन करना होगा। इसलिए दान में प्राप्त सम्पत्तियों का मूल्याङ्कन कठिन या विवादित मामला नहीं है।

परन्तु भारत में स्थिति थोड़ी भिन्न है। यहाँ पर वस्तु-दान को आयकर अधिनियम में मान्यता नहीं प्राप्त है। इसलिए इन सम्पत्तियों के मूल्याङ्कन की प्रणाली भी विकसित नहीं हुई है।

हालाँकि, भारत में सामग्री एवं सम्पत्तियों को दान के रूप में देने की प्राचीन परम्परा है। ये परम्पराएँ आज भी प्रचलित है और इनका प्रयोग कुछ विशेष अवसरों जैसे- मकर संक्रान्ति[६] आदि पर किया जाता है।

---

[१] इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इन्डिया

[२] पृष्ट संख्या ६९, ७६, ए०एस० १० एवं १२ की प्रयोज्यता पर चर्चा; टेक्निकल गाइड ऑन अकाउन्टिङ्ग एण्ड ऑडिटिङ्ग इन नॉट फॉर प्राफिट ऑरगेनाइजेशनस् ; भारतीय शासप्राप्त लेखाकार संस्थान (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इन्डिया), नई दिल्ली; २००३

[३] उदाहरण के लिए- एक रुपया

[४] पृष्ट संख्या २९५, विले नॉट फॉर प्रॉफिट जी० ए० ए० पी० २००१; रिचर्ड एफ० लार्किन एण्ड मेरी डिटामॉसो; जॉन विले एण्ड सन्स, न्यूयार्क; २००१

[५] दान करने के समय प्रचलित

[६] सूर्य की स्थिति (पृथ्वी के साथ-साथ) उत्तरी गोलार्द्ध में हो जाती है।

अनुशंसा

इसलिए भारतीय परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि अचल सम्पत्तियों[७] के साथ-साथ दान में दी गई वस्तुओं के मूल्याङ्कन को भी प्रोत्सहित किया जाए। इससे हमें वस्तु-दान के रूप में उद्ग्रहित किए गए संसाधनों का उचित आकलन करने में सहायता मिलेगी।

लेखाङ्कन

अब हम इसके लेखाङ्कन के पहलू पर भी चर्चा करते हैं। सम्पत्ति की प्राप्ति के समय निम्नलिखित प्रमाणक तैयार किया जाना चाहिए (प्रमाणक १ क):

लोक जागरण मंच	प्रमाणक १ क
	१-अप्रैल-०५
नामे फर्नीचर खाता	१०,१००
जमा वस्तु-दानः सामग्री खाता	१०,१००
श्री कखग द्वारा सभा कक्ष के लिए दान के रूप के दी गई मेज़ एवं कुर्सियाँ।	

अब हमें पूर्व प्रकरणों के अनुसार पूँजीगत-निधि भी सृजित करनी चाहिए (प्रमाणक २ ख):

लोक जागरण मंच	प्रमाणक २ ख
	१-अप्रैल-०५
नामे सामान्य-निधि खाता	१०,१००
जमा पूँजीगत-निधि खाता	१०,१००
दान के रूप में प्राप्त मेज़ों एवं कुर्सियों के मूल्य का सामान्य-निधि खाते से पूँजीगत-निधि खाते में अंतरण।	

हमने यहाँ पर सामान्य-निधि खाते को नामे क्यों किया? इसलिए क्योंकि दान की यह राशि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए चिन्हित नहीं है- जैसे कि परियोजना अनुदान। इससे सामान्य-निधि की बढ़ोतरी होती रहेगी। इसलिए हम सामान्य-निधि को समायोजित कर रहे हैं।

इसके विकल्प के रूप में प्रमाणक १-क में दान को पूँजीगत-निधि में सीधे ही जमा किया जा सकता है। हालाँकि इससे यह होगा कि इस लेन-देन को आय-व्यय खाते में नहीं दर्शाया जाएगा। अतः उचित लगता है कि इस प्रविष्टि को वस्तु-दान खाते के माध्यम से किया जाए।

[७] इससे सम्बन्धित अधिक विवरण के लिए लेखा-योग की अङ्क संख्या ३०: वस्तुओं के रूप में प्राप्त अभिदाय देखें जो कि www.AccountAid.net पर उपलब्ध है।

मूल्यह्रास का लेखाङ्कन

अब हम मूल्यह्रास की प्रविष्टियों का उल्लेख करेंगे। मूल्यह्रास की गणना करने के पश्चात् आपके पास इस प्रविष्टि को लिखने के दो विकल्प उपलब्ध हैं:

१. आय - व्यय खाते के माध्यम से लेखाङ्कन

वस्तुतः इस विधि का उपयोग उस स्थिति में किया जाना चाहिए जब आपने पूँजीगत-निधि का सृजन ही नहीं किया हो। ऐसी स्थिति में, मूल्यह्रास के अन्तिम-प्रभाव को सामान्य-निधि में अंतरित कर दिया जाएगा।

लोक जागरण मंच	प्रमाणक ३
	३१-मार्च-०६
नामे मूल्यह्रास खाता	१,०१०
जमा फर्नीचर खाता	१,०१०
फर्नीचर पर वर्ष २००५-०६ के लिए १०% की दर से मूल्यह्रास की राशि।	

यह भी ध्यान रखें कि यदि आपने पूँजीगत-निधि का सृजन नहीं किया है तो आपकी अचल सम्पत्ति का मूल्य केवल सामान्य-निधि[८] में ही रहेगा। इसलिए उचित यह होगा कि मूल्यह्रास की राशि को सामान्य-निधि में से समायोजित किया जाए।

पूँजीगत-निधि सृजित करने की स्थिति में

क्या इस प्रविष्टि का उपयोग ऐसी संस्थाओं में भी किया जा सकता है जहाँ पूँजीगत-निधि सृजित की गई है? जी हाँ, ऐसी संस्थाओं में भी इस प्रविष्टि का उपयोग किया जा सकता है।

तथापि, ऐसे प्रकरणों में, अचल सम्पत्ति में कमी होने के साथ ही साथ पूँजीगत-निधि में कोई कमी नहीं होगी। इस प्रकार से, पूँजीगत-निधि क्रमिक रूप से एक गुप्त प्रारक्षित-निधि बन जाएगी जिसका उपयोग पुरानी सम्पत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए किया जा सकता है।

इस प्रकार का दृष्टिकोण उन जन-सेवी संस्थाओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक होगा जिनके क्रियाकलाप व्यावसायिक हैं।

[८] इस प्रकार के प्रकरणों में, अनुदान के पूँजीगत भाग को आय एवं व्यय खाते में भी जमा किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष भर में अनुदान में से अचल सम्पत्ति क्रय करने के लिए व्यय की गई राशि के समान अधिशेष अतिरिक्त हो जाएगा। अन्ततः अधिशेष की इस राशि को सामान्य-निधि या इसी प्रकार की किसी अन्य निधि में अंतरित कर दिया जाता है।

इस प्रकार के संस्थाओं के उदाहरणों में अस्पताल, विद्यालय, आयोपार्जन परियोजनाएँ आदि शामिल हैं।

२. पूँजीगत-निधि के माध्यम से लेखाङ्कन

मान लीजिए कि आपने पूँजीगत-निधि का सृजन कर लिया है परन्तु पुरानी सम्पत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए उनके प्रयोग की योजना नहीं की है तो उस स्थिति में निम्नलिखित प्रविष्टि करना एक उचित विकल्प होगा (वाउचर ३ क):

लोक जागरण मंच	प्रमाणक ३ क
	३१-मार्च-०६
नामे पूँजीगत-निधि खाता	१,०१०
जमा फर्नीचर खाता	१,०१०
वर्ष २००५-०६ के लिए फर्नीचर पर १०% की दर से मूल्यह्रास की राशि।	

इस प्रविष्टि के फलस्वरूप अचल-सम्पत्ति एवं पूँजीगत-निधि, दोनों खातों में समान राशि कम हो जाएगी। तथापि, इस लेन-देन को आय एवं व्यय खाते में बिल्कुल भी नहीं दर्शाया जाएगा और न ही इसकी प्रविष्टि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में की जाएगी।

क्या यह सही है? क्या हमें मूल्यह्रास की राशि को आय-व्यय खाते में नहीं दर्शाना चाहिए। इस तथ्य को भली-भाँति ढंग से समझने के लिए आइए देखते हैं कि मूल्यह्रास को क्यों प्रभारित किया जाता है।

मूल्यह्रास प्रभारित करने के कारण

मूल्यह्रास का संरचनात्मक प्रयोग लगभग १९ वीं शताब्दी में आधुनिक संयुक्त-स्कन्ध-कम्पनियों के उद्गम मे साथ प्रारम्भ हो गया था। उस समय केवल कुछ ही कम्पनियाँ मूल्यह्रास प्रभारित करती थी जबकि कुछ कम्पनियाँ मूल्यह्रास प्रभारित नहीं करती थी। इसके फलस्वरूप बहियों में बहुत अधिक लाभ होता था जिसके कारण वे अधिक लाभांश घोषित करती थी। इससे उन कम्पनियों के अंश-पत्रों के मूल्य बहुत अधिक रहते थे।

इस संबंध में कुछ निवेशकों से शिकायतें प्राप्त होने पर विनियामकों ने एक कानून पारित[९] कर दिया। कानून में यह प्रावधान किया गया कि कोई भी कम्पनी अपनी सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान किए बिना लाभांश घोषित नहीं करेगी। यह प्रावधान भारतीय कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा २०५ में अभी भी अन्तर्निहित है।

[९] इंग्लैंड में संयूक्त स्कन्ध (पूँजी) कम्पनी अधिनियम, १८४४ में रेल सड़क, खनन एवं विनिर्माण के लिए मूल्यह्रास के लेखाङ्कन की आवश्यकता महसूस की गई (हालाँकि मूल्यह्रास की अवधारणा का उद्गम संभवतः रोमन काल के समय हो गया था)।

व्यवसायिक कर-निर्धारतिओं की माँग पर आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यह्रास के लिए भत्ते की शुरूआत की गई। यह भत्ता आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ३२ में अन्तर्निहित है।

तथापि, आधुनिक-लेखाङ्कन-वृत्ति में यह स्थिति पूर्णतः स्पष्ट है। यदि आप राजस्व का व्यय से मिलान करना चाहते हैं तो मूल्यह्रास एक अनिवार्य प्रभार है।

इस प्रकार से मूल्यह्रास की प्रासंगिकता के सम्बन्ध में हमें तीन विचार-धाराएँ देखने को मिलती है:-

१ अचल-सम्पत्तियों को लाभांश के रूप में वित्तरित होने से रोकना;

२ आय पर कम कर सुनिश्चित करना;

३ राजस्व का व्यय से मिलान करना।

स्वाभाविक है कि पहले दो प्रावधान जन-सेवी संस्थाओं के लिए प्रासंगिक नहीं है। तथापि, तीसरा प्रावधान इन संस्थाओं के लिए अधिक सार्थक है। मूल्यह्रास प्रभारित करने से वर्ष के वित्तीय परिणाम आकलित करने में सहायता मिलेगी।

३. दोनों विधियों के माध्यम से लेखाङ्कन

यदि यह दृष्टिकोण आपको अच्छा लगता है तो आप निम्नलिखित प्रविष्टियाँ कर सकते हैं:

लोक जागरण मंच	वाउचर ३
	३१-मार्च-०६
नामे मूल्यह्रास खाता	१,०१०
जमा फर्नीचर खाता	१,०१०
वर्ष २००५-०६ के लिए फर्नीचर पर १०% की दर से मूल्यह्रास।	

इस प्रविष्टि से आय-व्यय खाते में प्रभारित मूल्यह्रास का प्रभार पड़ेगा। इसके पश्चात् आप एक अन्य प्रविष्टि (वाउचर ४) कर सकते है:

लोक जागरण मंच	वाउचर ४
	३१-मार्च-०६
नामे पूँजीगत-निधि खाता	१,०१०
जमा आय-व्यय खाता	१,०१०
वर्ष २००५-०६ के लिए मूल्यह्रास के लिए पूँजीगत-निधि का समायोजन।	

इन दो प्रविष्टियों से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि:

- मूल्यह्रास को आय-व्यय खाते में दर्शाया गया है।

- मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए पूँजीगत-निधि को समायोजित किया गया है।

इस स्थिति में आय-व्यय खाता नीचे दर्शाए गए अनुसार होगाः

व्यय	रुपये	आय	रुपये
व्यय	१५,०००	दानराशियाँ	१५,०००
मूल्यह्रास	१,०१०	पूँजीगत-निधि से अंतरित	१,०१०
योग	**१६,०१०**	**योग**	**१६,०१०**

इसी प्रकार तुलन-पत्र भी नीचे दिए गए अनुसार दर्शाई देगाः

देयताएँ	रुपये	परिसंपत्तियाँ	रुपये
सामान्य-निधि	१५,०००	फर्नीचर	९,०९०
पूँजीगत-निधि	१०,१००	अन्य सम्पत्तियाँ	१५,०००
घटाएँ: आय-व्यय खाते में अंतरित राशि	-१,०१०		
अंतिम शेष	९,०९०		
योग	**२४,०९०**	**योग**	**२४,०९०**

शब्दावली

अचल सम्पत्ति - फिक्स्ड असेटस्
अभिरक्षक - कस्टोडियन
अभिलेख - रिकॉर्ड
अंश-पत्र - शेयर
अङ्केक्षक - ऑडिटर
अन्तर्निहित - कन्टेन
अनुशंसा - रेकॉमेन्डेशन
आय-व्यय खाते - इन्कम एण्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट
कर-छूट - डिडक्शन
कर-निर्धारती - टेक्स-एसेसी
गुप्त - हिडन
दुर्विनियोजन - मिसअप्रोपिएशन
नाममात्र - नॉमिनल
निधि - फण्ड
पूँजीगत-निधि - कैपिटल फण्ड
प्रतिस्थापन - रिप्लेसमेन्ट
प्रभारित - चार्जड्
प्रयोज्यता - एप्लिकेबिलिटि
प्रारक्षित-निधि - रिजर्व फण्ड
प्रावधान - प्रॉविज़न
प्रासंगिक - रेलेवेन्स
राजस्व - रेवन्यू
लाभांश - डिविडेन्ड
लेखाङ्कन-वृत्ति - अकाउन्टिङ्ग प्रोफेसन
लेखा-पुस्तक - बुक्स ऑफ अकाउन्टस्
वस्तु-दान - कॉन्ट्रीब्युशन इन काइन्ड
विनियामक - रेगुलेटर
सामान्य-निधि - जनरल फण्ड
सृजित - क्रियेटेड

लेखा-योग के अन्य सम्बन्धित अङ्कः

३०: वस्तुओं के रूप में प्राप्त योगदान

१०४: मूल्य ह्रास एवं इसका लेखाङ्कन - २

लेखा·योग क्या है - 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है दो संख्याओं को जोड़ना। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म को योग बताया है। लेखा कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा-जोखा में सुधार होगा। लेखा·योग का यही उद्देश्य है।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग १७०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग - This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप - लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। इनका हिन्दी वाभ-स्वरूप कुछ समय पश्चात् प्राप्त हो सकेगा।

विधि-व्याख्या - यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

पत्राचार - आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है - अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-बी, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली-११० ०१४; दूरभाष - ०११-२६३४ ३१२८; दूरभाष/प्रतिरूप प्रेषिका - २६३४ ६०४१; ई-प्रेष - accountaid@vsnl.com; accountaid@gmail.com

© AccountAid™ India विक्रम संवत् ज्येष्ठ २०६२; जून २००५ ईस्वी।